25/5/18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत योजना के संबंध में पेश हुई। मूल वाद धा० धारा 111 के तहत दायर किया गया था। इस प्रार्थना पत्र के संबंध में कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 R-14 सं० 63/17 खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार होकर नस्ती के साथ है। इस आदेश की तारीख तस्दीक किश्नगढ़ रूपाड़ का जारी है।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
सीमा रोड (जयपुर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner